पत्रांक 51/3/82-5जी0 एस0–I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. राज्य के सभी विभागाध्यक्ष,
2. आयुक्त हिसार/अम्बाला मण्डल हिसार तथा अम्बाला, तथा
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 2 जून, 1982।

विषय :—तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

हरियाणा सरकार द्वारा श्रेणी-III के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना क्रमांक जी0 एस0 आर0 3/कान्स्ट0/आर्ट0 309/80, दिनांक 1-1-1980 में श्रेणी-III के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्त लगाई गई थी :—

> "Only such ad hoc employees as have completed a minimum period of two years' service on 31st December, 1979 with a break, if any, for the period not exceeding more than one month, should be made regular."

2. हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक जी0 एस0 आर0 कान्स्ट0/आर्ट0 309/80, दिनांक 6-3-1980 तथा परिपत्र क्रमांक 34/45/79-5 जी0 एस0–I, दिनांक 27-3-1980 के अनुसार श्रेणी–III तथा श्रेणी–IV के उन तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किया जाना था जिन्होंने 6 फरवरी, 1980 को एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वे निम्न कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में आते हों :—

(क) जिसका कम से कम एक बाजु या टांग नाकारा हो गई हो,

(ख) अन्धे व्यक्ति, तथा

(ग) बहरे तथा गूंगे व्यक्ति।

3. सी0 डब्ल्यु0 पी0 क्रमांक 2589 आफ 1980 (प्रति संलग्न है) में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को सम्मुख रख कर इस मामले पर विस्तृत रूप से पुनः विचार किया गया है। अतः अब स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जाती है :—

(क) श्रेणी–III के जिन तदर्थ कर्मचारियों की 31-12-1979 से पूर्व कभी भी लगातार 2 वर्ष की सेवा, जिसमें एक माह से अधिक ब्रेक न हो, हो चुकी हो और वे दिनांक 31-12-79 को सरकारी सेवा में हों, उन्हें अधिसूचना दिनांक 1-1-80 के अन्तर्गत नियमित किया जाना है।

(ख) श्रेणी–III व श्रेणी–IV के जिन अशक्त/विकलांग तदर्थ कर्मचारियों की सेवा 6-2-1980 से पूर्व, बिना किसी ब्रेक के, कभी भी एक वर्ष की हो चुकी हों और वे 6-2-80 को सरकारी सेवा में हो, उन्हें भी अधिसूचना दिनांक 6-3-1980 तथा परिपत्र क्रमांक 34/45/79–5जी0 एस0-I, दिनांक 27-3-80 में दी गई हिदायतों के अन्तर्गत नियमित किया जाना है।

4. आप से अनुरोध किया जाता है कि उपयुक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए श्रेणी–III व श्रेणी–IV के उपयुक्त तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने बारे आवश्यक कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, हरियाणा सरकार

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

उपर्युक्त की एक–एक प्रति :—

1. वित्तायुक्त, राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
   राजस्व विभाग; तथा

2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
   को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. वित्तायुक्त, राजस्व एवं सचिव हरियाण सरकार,
   राजस्व विभाग; तथा

2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

यादि: क्रमांक 51/3/82–5 जी0 एस0 I दिनांक